जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 23-07-2021**

आज दिनांक 23.07.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

30 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 05 -05 ली0(कुल 10 ली0) अवैध कच्ची शराब के साथ 03 अभियुक्त नाम पता 1-वासुदेव पुत्र हुन्नर निवासी दौलतपुर 2- जितेन्द्र पुत्र पारसनाथ निवासी वार्ड नं0 01 अम्बेडकर नगर सवापार कस्बा हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना महुली पर क्रमशः मु0अ0सं0 214/2021 व 216/2021 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अनिल प्रकाश पाण्डेय,उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, हे0का0 कौशल किशोर सिंह, हे0का0 अनिल कुमार सिंह, का0 अश्विन यादव, का0 लालचन्द प्रसाद।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता बलवन्त कुमार पुत्र चन्द्रशेखर निवासी गोरयाभार थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 497/2021 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- हे0का0 हरेराम यादव, का0 गौतम कुमार।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता सुग्रीव पुत्र जीतन निवासी सिन्हा थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना धर्मसिंहवा पर मु0अ0सं0 51/2021 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- हे0का0 रामनिवास यादव, का0 तेजप्रताप चौरसिया, का0 मनोज कुमार द्विवेदी।

सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अन्तर्गत 10 अभियुक्त गिरफ्तार, 3630 रुपये नकद व ताश के 52 -52 पत्ते बरामद

थाना महुली पुलिस द्वारा जुआ खेल रहे 02 अभियुक्त नाम पता 1 – रामचन्दर पुत्र सकालू हरिजन 2- राजू पुत्र रामललित निवासीगण वार्ड नं0 01 सवापार अम्बेडकरनगर हरिहरपुर थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को **360 रुपये मालफड़ व 240 रु0** जामा तलाशी तथा ताश के 52 पत्तो के साथ

गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 213 / 2021 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, हे0का0 अनिल कुमार सिंह, का0 सोनू यादव, का0 अश्विन यादव, का0 राहुल यादव।

थाना महुली पुलिस द्वारा जुआ खेल रहे 04 अभियुक्तगण नाम पता 1 – पंकज पुत्र किशोरी मद्धेशिया 2- अरुण पुत्र केशव मद्धेशिया 3- विशाल पुत्र राजकुमार मद्धेशिया 4- प्रदुम्न पुत्र राजकुमार मद्धेशिया निवासीगण महुली खास थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को **600 रुपये मालफड़ व 300 रु0** जामा तलाशी तथा ताश के 52 पत्तो के साथ गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 215 / 2021 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री पारसनाथ यादव, हे0का0 वीरेन्द्र चौधरी, का0 शैलेन्द्र उपाध्याय, का0 अंजेश गुप्ता, का0 लालजी गौड़, का0 राजकुमार गौड़, का0 रजनीश मिश्रा, का0 सौरभ अग्रहरि।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा जुआ खेल रहे 04 अभियुक्तगण नाम पता 1 – फखरुद्दीन उर्फ मन्नू पुत्र महमूद शेख निवासी मोहल्ला भितरी टोला 2- मतीन अंसारी पुत्र मुबीन अंसारी निवासी पश्चिम टोला 3- मो0 रहीम पुत्र मुबारक अली निवासी ठाकुरद्वारा 4- नाजिर अली पुत्र गुलाम किबिरिया निवासी पश्चिम टोला थाना मेहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को **1490 रुपये मालफड़ व 640 रु0** जामा तलाशी तथा ताश के 52 पत्तो के साथ गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 215 / 2021 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार, का0 रत्नेश सिंह, का0 शत्रुघ्न सिंह, का0 अविनाश यादव, का0 सुनील पाल, का0 नितेश कुमार।

01 राशि गोवंशीय पशु व 01 अदद बोगदा, 01 अदद अवैध चाकू व 01 अदद लकड़ी के ठेहा के साथ 01 गौतस्कर गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 01 राशि गोवंशीय पशु व 01 अदद बोगदा, 01 अदद अवैध चाकू व 01 अदद लकड़ी के ठेहा के साथ 01 अभियुक्त नाम पता शाकिर अली पुत्र शकील निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को मदाईन से गिरफ्तार किया गया। बरामद 01 राशि गोवंशीय पशु(बछड़ा) के सम्बन्ध में थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 227/2021 धारा 3/5(A)/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम तथा बरामद 01 अदद अवैध चाकू व 01 अदद बोगदा के सम्बन्ध में थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 228 / 21 धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट तथा पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

बरामदगी-
01 राशि गोवंशीय पशु व 01 अदद बोगदा, 01 अदद अवैध चाकू व 01 अदद लकड़ी का ठेहा।
गिरफ्तारी टीम – उ0नि0 श्री आनन्द कुमार सिंह, उ0नि0 श्री रामप्रवेश यादव, हे0का0 दिनेश कुमार, हे0का0 कैलाश पाण्डेय, का0 अरुण कुमार, का0 प्रमोद कुमार, का0 ऋषभ शुक्ला, का0 नितिन विशेन।

550 ग्राम अवैध गाँजे के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण नाम पता 1- मो0 असलम पुत्र स्व0 अनवर अली निवासी नई बाजार, पश्चिम टोला थाना बखिरा 2- बजरंगी भार्या पुत्र स्व0 प्रहलाद निवासी उत्तरपट्टी कस्बा मेंहदावल थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को क्रमशः 290 ग्राम व 260 ग्राम अवैध गॉजे के साथ गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर क्रमशः मु0अ0सं0 183/21 व 184/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार, का0 अखिलेश दूबे, का0 संजीव यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 20 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

<u>पीआरवी 1498 द्वारा दो पक्षों में मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त</u> – पीआरवी 1498 को थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत कुशहरा से इवेन्ट संख्या 09163 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर तत्काल 06 मिनट में पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर दोनो पक्षों के व्यक्तियों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना बेलहरकला के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 बालजीत यादव, आ0 धर्मेन्द्र कुमार, हो0चा0 अखिलेश सिंह।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 86 वाहनो से 72500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 23.07.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 86 वाहनो से 72500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।